रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,बाड़मेर अपील नं. 17/2019 किरम 223 आर.टी.एक्ट. बअनवान अकबरखान बनाम हमीरखान वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

04.08.2021

पीठासीन अधिकारीः— श्री अरविन्द कुमार जाखड़ आर.ए.एस.

उपस्थितः— श्री चेलाराम कुमावत अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय

दिनांक 04.08.2021

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 225 विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 154/2007 बअनवान हमीरखां वगै. बनाम खीवरेखां वगै. में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.01.2016 व 08.01.2019 के विरूद्ध पेश हुई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मृत व्यक्तियों के विरूद्ध पारित किया गया जो प्रारम्भ से शून्य है। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार पचपदरा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया जिसमें तहसीलदार पचपदरा स्वयं द्वारा मौके पर गये बिना तैयार किया गया। जबकि बंटवारे के मामले में तहसीलदार स्वयं का मौके पर जाना आज्ञापक है। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की सहमति से हल्का पटवारी व आर. आई. मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो गया है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने पर न्यायालय का निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। हस्तगत प्रकरण के नोटिस अपीलांट को व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं करवाया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.01.2016 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा मौका रिपोर्ट का मजमून ही साबित कर देता है कि **तहसीलदार स्वयं** द्वारा मौका मुआवना नहीं किया गया है व विभाजन प्रस्ताव पर केवल प्रति हस्ताक्षकर किये गये है। **तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए।** बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपीलांट की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 154/2007 बअनवान हमीरखां वगै. बनाम खीवरेखां वगै. में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.01.2016 व 08.01.2019 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देष के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत पुनः निर्णय पारित करे।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 04.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर